न्यायालय अति0जिला कलेक्टर,टोंक

(सुखराम खोखर,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 03/2018
प्रविष्टि दिनांक 22.02.2018

बजरंगा पुत्र रामचन्द्र जाति बैरवा निवासी श्रीनगर तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज0

............प्रार्थी

बनाम

1.रामकरण पुत्र श्योदान जाति जाट निवासी घारेडा तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक
2.भू–आवंटन सलाहकार समिति जरिये उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह

.... अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4) भू–आवंटन नियम 1970

उपस्थिति : (1) श्री मनीष कासलीवाल अभिभाषक प्रार्थी
(2) श्री शिवराज चांगल अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

निर्णय

दिनांक 29.11.2019

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि भू आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 20.11.2010 को प्रतिपक्षी संख्या–1 को आ0ख0नं0 850 रकबा 0.50 है0 व आ0ख0नं0 1062/1905/1 रकबा 0.50 है0 कुल किता–2 रकबा 1.00 है0 भूमि वाके ग्राम घारेडा तहसील टोडारायसिंह में आवंटन किया गया है। प्रार्थी ने उक्त आवंटन को विधि विरूद्व एवं नियमों के प्रतिकूल बताते हुए आवंटन आदेश को निरस्त किये जाने हेतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी जरिये नोटिस अप्रार्थीगण की गई। आवंटन सम्बन्धी पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब पेश किया कि भू–आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा प्रशासन गांवो के संग अभियान 2010 मे दिनाक 20.11.2010 को केम्प ग्राम पंचायत कूकड मे आ0ख0नं0 850 रकबा 0.50 है0 व आ0ख0नं0 1062/1905/1 रकवा 0.50 है0 कुल किता–2 रकबा 1.00 है0 भूमि वाके ग्राम घारेडा तहसील टोडारायसिंह में आवंटन किया गया है। आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा अप्रार्थी को नियमानुसार आवंटन किया गया है। प्रार्थी का आवंटन भूमि के पास कोई कुंआ स्थित नही है और ना ही खातेदारी की भूमि है तथा आने–जाने का रास्ता भी नही है। प्रार्थी की खोतदारी की भूमि आवंटन भूमि से 1 कि.मी. दूर स्थित है। आवंटन भूमि पर आवंटन से पूर्व से ही अप्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा मौके पर खुल्लम खुल्ला

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर * टोंक *

Scanned by CamScanner

उद्घोषणा जारी कर समस्त कार्यवाही सम्पादित कर नियमानुसार आवंटन किया है। आवंटन के समय अप्रार्थी के पास 0.67 है0 भूमि थी जो नियमानुसार सही है। अप्रार्थी आवंटन की पात्रता रखता था। आवंटन होने के पश्चात दिनांक 21.12.2010 को हल्का पटवारी,गिरदावर व अन्य की उपस्थिति मे उक्त भूमि अप्रार्थी को सुपुर्दगी मे दी गई है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने कथन किया है कि भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनाक 20.11.2010 को बिना उद्घोषणा जारी किये मौका रिपोर्ट लिये बिना रामकरण पुत्र श्योदान जाति जाट को आ0ख0नं0 850 रकबा 0.50 है0 व आ0ख0नं0 1062/1905/1 रकबा 0.50 है0 कुल किता–2 रकबा 1.00 है0 भूमि का आवंटन किया गया है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही की गई है। आवंटी का आवंटन भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। विपक्षी सद्भावी कृषक नही है उक्त भूमि प्रार्थी के खेतो के समीप है एंव पास मे ही कुंआ है। आवंटित भूमि पर आवेदक का कब्जा है,उक्त भूमि मे से होकर आवेदक अपने कुंए एंव खातेदारी की भूमि पर आता–जाता है। आवंटन क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया है,प्रशासन गांवो के संग अभियान के तहत वर्ष 2010 मे टोंक जिले मे भूमि आवंटन किये जाने का निर्धारित कार्यक्रम नही था। आवंटन नियमो को नजर अंदाज कर किया गया है। अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा अपने आवेदन पत्र मे खातेदारी की भूमि का अकंन नही किया है,उक्त आवंटन फ्रॉड एंव मिसरिप्रजेन्टेशन से किया गया है। अतः आवंटन निरस्त योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस मे कथन किया कि भू– आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा प्रशासन गांवो के संग अभियान 2010 मे दिनाक 20.11.2010 को केम्प ग्राम पंचायत कूकड मे अप्रार्थी रामकरण को आ0ख0नं0 850 रकबा 0.50 है0 व आ0ख0नं0 1062/1905/1 रकबा 0.50 है0 कुल किता–2 रकबा 1.00 है0 भूमि वाके ग्राम घारेडा तहसील टोडारायसिंह मे नियमानुसार आवंटन की गई है। आवंटित भूमि अप्रार्थी की गैर खातेदारी मे दर्ज है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना की गई है। आवंटित भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी भूमिहीन कृषक है तथा आवंटन शर्तो की पूर्ण पालना की है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं आवंटन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। आवंटन पत्रावली का अवलोकन करने से विदित होता है कि अप्रार्थी रामकरण पुत्र श्योदान जाति जाट निवासी घारेडा को भू–आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा दिनाक 20.11.2010 को प्रशासन गांवो के संग अभियान 2010 केम्प ग्राम पंचायत कूकड मे आ0ख0नं0 850 रकबा 0.50 है0 व आ0ख0नं0 1062/1905/1 रकबा 0.50 है0 कुल किता–2 रकबा 1.00 है0 भूमि वाके ग्राम घारेडा मे आवंटन किया गया है। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी सम्वंत 2063–2074 मे ज्वार,तिल,तारामीरा व गेहूं आदि की फसल काश्त करना दर्ज है। नकल जमाबंदी सम्वंत 2071 से 2074 वाके ग्राम घारेडा मे उक्त भूमि अप्रार्थी की गैर खातेदारी मे दर्ज है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

Scanned by CamScanner

प्रार्थी का कथन है कि आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही की गई है। आवंटी का आवंटन भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। अप्रार्थी सद्भावी कृषक नही है उक्त भूमि प्रार्थी के खेतो के समीप है एंव पास मे ही कुंआ है। आवंटित भूमि पर आवेदक का कब्जा है,उक्त भूमि मे से होकर आवेदक अपने कुंए एंव खातेदारी की भूमि पर आता–जाता है,परन्तु इसकी तायद मे कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नही किया गया है। वर्तमान मे आवंटित भूमि अप्रार्थी की गैर खातेदारी मे दर्ज है। प्रार्थी ने ऐसा कोई साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत नही किया है जिसके आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सके। आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा अप्रार्थी रामकरण के हक मे आवंटन नियमानुसार किया गया है जिसे निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाकर रामकरण पुत्र श्योदान जाति जाट निवासी घारेडा तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक को दिनांक 20.11.2010 को ग्राम घारेडा की आ0ख0नं0 850 रकबा 0.50 है0 व आ0ख0नं0 1062/1905/1 रकबा 0.50 है0 कुल किता–2 रकबा 1.00 है0 भूमि का किया गया आवंटन यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

(सुखराम खोखर)
अति.जिला कलेक्टर,टोंक
अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukh Ram Khokher
Date: 2019.12.05 17:07:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: